शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल–registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमाँक 2–1–2/842/संबद्धता/2023–24/566 रायगढ़, दिनाँक 06/01/2024

// आदेश //

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग "मंत्रालय" महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर के अनुमति पत्र क्रमाँक एफ 17–124/2023/38–2 नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर, दिनांक 25.08.2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमाँक एफ 17–124/2023/38–2 नया रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 27.09.2023 तथा विश्वविद्यालय के संशोधित अधिसूचना क्रमाँक 2–1–2/स.नि./2023/ 487 रायगढ़, दिनांक 16.11.2023 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर श्रीराम महाविद्यालय, बरमकेला, जिला–रायगढ़ (नव स्थापित जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ) (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से निम्नांकित विषय/पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है :–

क्रमाँक	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.एस.सी. (बायो)	**40–सीट**
02	पी.जी.डी.सी.ए.	**40–सीट**

निर्धारित शर्ते :–

01. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
02. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
03. परिनियम–28 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विषय के लिए शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जावे।
04. उपरोक्त पाठ्यक्रमानुसार पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकें क्रॅय किया जावे।

उल्लेखित शर्तो का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 10.02.2024 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सीट वृद्धि/नवीन विषय/पाठ्यक्रम/ अतिरिक्त अनुभाग संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव (प्रभारी)

पृ. क्रमाँक 2–1–2/842/संबद्धता/2023–24/567 रायगढ़, दिनाँक 06/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, श्रीराम महाविद्यालय, बरमकेला, जिला–रायगढ़ (नव स्थापित जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ) (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)